श्चनुभव किया जाता है कि इन्हें कुछ समय पश्चात बन्द कर दिया जाय ग्रौर इसी बीच रद्योग नई परिस्थितियों में श्रपने को ढाल लेगा । इस दिष्टकोण को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय किया गया है कि सीमेंट कारपोरेशन स्राफ इंडिया द्वारा सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली ग्रतिरिक्त क्षमता श्रब केवल कमी वाले क्षेत्र में ही स्थापित की जानी चाहिए । चंकि सीमेंट संतरण की स्थिति, फिलहाल अपेक्षाकृत भ्रच्छी है भ्रौर भ्रगले कुछ वर्षों में भी ऐसी ही बनी रहने की स्राशा है, स्रतः इस उद्योग से कन्ट्रोल हटाने का यह ग्रच्छा समय रहेगा। इन बातों को विचार में रखते हए विद्यमान प्रबन्ध को समाप्त करने तथा 1 जनवरी. 1970 से सीमेंट के मल्य भ्रौर वितरण के सभी प्रकार के कन्ट्रोल हटा देने का निश्चय किया गया है। इस बीच उद्योग को कमी वाले क्षेत्रों में सीमेंट का उत्पादन करने का श्रायोजन करने का श्रवसर मिल जायेगा ।

5. वर्तमान साधारण मृल्य निर्मातास्रों को दिये जाने वाले कारखाने से चलते समय के मूल्य तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि के कारण उद्योग द्वारा समय-समय पर मृत्य में करना 1961 में प्रशुल्क ग्रायोग द्वारा की गई सिफारिशों पर श्राधारित है। 1 जनवरी, 1966 से सरकार द्वारा की गई कार्यवाही 🗣 परिणामस्वरुप उत्पादन लागत बढ़ जाने से एस सधारण मूल्य बढ़ा देने के लिए उद्योग कुछ समय से जोर देता रहा है। उद्योग के इन दावं पर संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से विचार किया गया ग्रीर यह महसूस किया गया कि कोयला के खान से चलते समय के मूल्य, रेल-भाड़े, बिजली शल्क श्रौर वित्तीय मज़री बोर्ड पंचाट के कारण उनके ये दाव उचित ह । यद्यपि प्रशुल्क म्रायोग के लिए उत्पादन लागत में विद्यमान श्रत्यधिक श्रसमानता को ध्यान में रखते हुए

1961 में इस उद्योग के लिए समान मृल्य की सिफारिश करना सम्भागनहीं था, तो भी सरकार का यह विचार था कि उद्योग के लिए समान मुल्य होने चाहिये जिससे उन एककों पर बचत करने पर जोर दिया जा सके जिनमें लागत ग्रधिक ग्राती हो ग्रीर जिन एकको ने बचा की है उनके लिए पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। फिर भी सरकार को यह मानना पड़ा कि कुछ ऐसे एककों में जिनमें किन्हीं विशेष कारणवश ग्रधिक लागत ग्राती है उनके लिए कुछ समय के लिए ग्रतिरिक्त मल्य स्वीकार कर लिया जाये जिससे उनमें इस समय तक उत्पादन होता रहे जब तक कि वे समान्य मृत्य पर बचतपूर्ण ढंग से उत्पादन करने योग्य नहीं हो जाते । उद्योग के साथ समय-समय पर किए गए विचार विमशं ग्रौर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उद्योग स्वयं एक सामान्यतः समान मुल्य नीति रखने के पक्ष में है. ग्रासाम सीमेंन्टस (चेरापंजी), जे० एण्ड के० मिनरल्स, (वयान) ग्रौर त्नावणकोर सीमेंन्टस (कोट्टायम) को छोड़कर जो नि[ः]न स्तर के एकक हैं और जिनके मामले में उनकी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ग्रलग से मल्य निर्धारित करने पड़ेंगे, 16 अप्रैल, 1969 से कारखाने से चलते समय के 100 रुपये प्रति मीट्क टन श्रधिकता मुल्य निश्चित करने का निर्णय किया गया है। यह 31 दिसम्बर, 1969 तक प्रभावी होगा जिस तारीख तक वर्तमान रेल भाड़ा सहित समानी-कृत भाडा प्रबन्ध म्रादि लाग रहेंगें।

(ग) उपभोक्ताभ्रों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

8 प्रदव शक्ति ट्रैक्टरों का निर्माण

*764. श्री मोलह प्रसाद: श्रौद्योगिक विकास, श्रान्तरिक व्यापार तथा समवायकार्य मंत्री 13 मई, 1969 के तारां- कित प्रश्न संख्या 1969 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बिना किसी विदेशी सहयोग के 8 ग्रश्व शक्ति के ट्रैकटरों के निर्माण के लिये नई दिल्ली और मेरठ की जिन फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनके नाम और पते क्या हैं तथा ये प्रस्ताव किस किस तारीख को प्राप्त हुए ये।
- (ख) क्या बदनी स्थित परीक्षण केन्द्र में प्रोटो टाइप ट्रैक्टरों का परोक्षण किया गया है ग्रीर क्या सरकार ने उसके बाद उक्त प्रस्तावों पर विचार किया है: ग्रीर
- (η) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा क्या है ?

श्रौद्योगिक विकास, ग्रान्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फलरुद्दीन श्रली श्रहमद): (क)दो फर्मों के प्रस्ताव प्राप्त हुए है, जिनके नाम श्रौर पते ये है : मैसर्स सैलगयोकार इंजीनिर्यंस प्रा० लि०, डी०-9 साउथ एक्स-टेंसन, भाग-2 नई दिल्ली तथा मेसर्स डेल्टा इंजीनियरिंग कं० प्रा० लि०, पोस्ट बाक्स नं० 35, मेरठ। विनियोजन, निर्माण कार्यकम ग्रादि के श्रोपचारिक विस्तृत विवरण सहित किसी भी पार्टी से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुम्रा है। भारतीय जानकारी से ट्रैक्टर निर्माण करने की सूचना नई दिल्ली की फर्म से 17 श्रप्रैल, 1969 को तथा मेरठ की फर्म 28 मार्च 1969 को प्राप्त हई थी।

(ख) तथा (ग) : प्रोटो टाइप ट्रैक्टरी का परीक्षण अभी तक बुंचनी स्थित परीक्षण केन्द्र में नहीं किया गया है।

toss of Railway goods from Railway wagons

*765. SHRI D. N. PATODIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a very

large quantity of Railway goods is lost through wagon breaking, pilferage and theft every year;

- (b) whether any estimate has been made by his Ministry about the extent of loss on this account in the different Railways;
- (c) whether it is also a fact that the Railway employees are scared to take action against the criminals because adequate protection is not given to them and the local Police do not respond favourably in tracking down the criminals: and
- (d) if so, what steps Government have taken to liaison with the State Governments to ensure that the Police help at the State level is spontaneous in tracking down criminals and the loss on this account is minimised?

THE MINISTER OF RAILWAYS (DR. RAM SUBHAG SINGH): (a) Yes, Sir. The claims bill in the recent years has gone up, which is the only available index in determining the quantity of railway goods lost through wagon breaking, pilferage and theft.

- (b) Yes, Sir. A statement regarding the loss (claims—compensation) on this account on the various zonal railways is placed on the table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1830 [69].
- (c) No, Sir. Railway Protection Force staff who are responsible to provide better protection and security to the railway property, have been taking suitable action against the criminals found committing thefts. They have also been engaged in several encounters with gangs of armed criminals and have been successful safeguarding the railway property from being looted. Local Police have also been responding favourably in tracking down the criminals.
- (d) Close liaison at all levels is maintained with the State Pelice for